न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 48 / 2020
दायर दिनांक : 07.08.2020

उनवान

1. बालु पिता मगना जाट निवासी नया गांव तहसील माण्डलगढ़।
2. तुलसीराम पिता मगना जाट निवासी नया गांव तहसील माण्डलगढ़।
3. रामु पत्नि मगना जाट निवासी नया गांव तहसील माण्डलगढ़।
4. रामचन्द्र पिता मगना जाट निवासी नया गांव तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता नन्दा जाट निवासी नया गांव तहसील माण्डलगढ़।
2. शंकर लाल पिता नन्दा जाट निवासी नया गांव तहसील माण्डलगढ़।
3. सोसर बाई पिता नन्दा जाट निवासी नया गांव तहसील माण्डलगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा माण्डलगढ़ तहसील माण्डलगढ़।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री हरिओम सनाढय (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. श्री अनिल कुमार पारीक (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 12.02.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नया गांव पटवार हल्का बिगोद में स्थित भूमि आराजी संख्या 135 / 1 पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का रास्ता कदीमी समय से है। उक्त रास्ता वर्तमान खुलासा है। मौके पर 20 फीट चौड़ा रास्ता का वर्षो से प्रार्थीगण उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में दर्ज नही होने के कारण प्रार्थीगण आये दिन उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकी देते रहते है। और कभी कभी उक्त रास्ते में फसल काश्त कर देते है जिससे उक्त रास्ता सकड़ा होने से आने जाने में परेशानी होती है। दिनांक 03.07.2020 को विपक्षी ने उक्त रास्ते पर बन्दा लगाकर प्रार्थीगण को रास्ते से निकलने देने से मना कर दिया जिससे प्रार्थी को अपनी जमीन पर आने जाने में कठिनाई हो रही है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 132 / पश्चिमी मेड़ के सहारे सहारे पर 20 फीट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश करावें।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 28.10.2020 को अनील कुमार पारीक द्वारा अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि मामले में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा दिया गया वर्णन जो रेकार्डेड है। प्रार्थी द्वारा अपनी आराजी पर पहुँचने के लिये 132 / 3 पर जिस रास्ते का वर्णन किया गया है। वहा पर मौके पर न तो रास्ता मौजूद है न ही प्रार्थी उक्त रास्ते पर आया गया है। प्रार्थी विपक्षीगण की खातेदारी जमीन में से जबरन नया रास्ता कायम कर निकलना चाहता है। जो विधि संगत नही है। प्रार्थी को आने जाने हेतु अपनी जमीन में जाने के लिये नया गांव से निकल कर आराजीनम्बर 132 / 1 की पूर्वी दिशा में रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 217 जो राजस्व अभिलेखो में दर्ज रेकॉर्ड है। मुख्य सड़क से उक्त रास्ते में होते हुये सीधा बिलानाम आराजी नम्बर 181 में होता हुआ जो बिलानाम जमीन पड़ी हुयी है

Signature Not Verifie
Digitally signed by Utsah
Date: 2021.03.04 16:53:3
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

आगे 182 से होता हुआ प्रार्थी के कुए पर पहुँचता है। प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग पूर्व में कर रहा है। क्योकि आराजी नम्बर 181 गे0मु0 आबादी रकबा 0.6394 है जो काफी लम्बी चौड़ी व खाली पड़ी है। उसी जमीन में होता हुआ विपक्षी अपने कुए की जमीन में पहुँचता है। जो वर्तमान में रास्ता चालु स्थिति होकर प्रार्थीगण इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे है। अतः प्रार्थीगण जबरन विपक्षी की जमीन में नया रास्ता कायम करना चाहते है जबकि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की जमीन से रास्ता दिलाना न्याय संगत नही होगा प्रार्थी की आराजी भीलवाड़ा कोटा मुख्य मार्ग पर स्थित है। रास्ता देने से प्रार्थी की जमीन की वेल्यु कम हो जायेगी। और वहा रास्ता है भी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सव्य खारीज योग्य है।

दिनांक 28.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/2864 दिनांक 18.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम नया गांव पटवार हल्का बिगोद की आराजी संख्या 135/1 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 132/3 में से 20 फीट चौड़ा रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता ही न्यूनतम है। उक्त आराजी पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि आराजी संख्या 132/3 रकबा 0.1214 ममें से 0.0204 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ते हेतु उपयोग ली जावेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली कुल 03 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसमें खातेदारी हक में भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 506498 रूपये प्रति बीघा से 75975 रूपये दुगुनी दर 151949 रूपये बनती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि प्रार्थी के आराजी संख्या 135/1 पर पहुंचने के लिये उपस्थित अप्रार्थीगण द्वारा बताए अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उक्त एक अन्य वैकल्पिक रास्ता ओर उपलब्ध है जो ग्राम नया गांव से एन.एच. 758 होकर ग्राम मालीखेड़ा में दर्ज सरकारी रास्ते आराजी संख्या 217 में होकर ग्राम मालीखेड़ा की ही आबादी भूमि आराजी संख्या 181 में होकर ग्राम नया गांव की बिलानाम आराजी संख्या 182 में होकर अन्य खातेदारी भूमि आराजी संख्या 161 में होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी के सामलाती कुंए आराजी संख्या 162 पर होकर प्रार्थी की अन्य खातेदारी भूमि आराजी संख्या 163 में होकर रिकार्डेड सरकारी रास्ते आराजी संख्या 158 में पंहूचता है। पक्षकारान को जरिये सूचना पत्र के सूचित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.03.04 16:53:33 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, जमाबन्दी सम्वत 2076–2020 दिनांक 18.12.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 31/2020 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रार्थी द्वारा जहां से रास्ता चाहा गया है उस आराजी पर रिकार्ड एवं मौके पर यथास्थिति का स्थगन है। पत्रावली में संग्रह पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है। उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम– 1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चाहे गये आराजियात में स्थगन होने एवं वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़